



संख्यांक 1
मूलवाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज.)
बईजलास - जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 31 / 2020
दायरी दिनांक : 06.07.2020

उनवान

1. नोसी देवी पत्नि भंवरलाल जाति रेबारी निवासी साण्डगांव तहसील माण्डलगढ़।

वादीया..

बनाम

1. मदन पिता सोदान जाति रेबारी निवासी साण्डगांव तहसील माण्डलगढ़।
2. सोनाथ पिता मिश्री जाति रेबारी निवासी साण्डगांव तहसील माण्डलगढ़।
3. शम्भु पिता बक्षा जाति रेबारी निवासी साण्डगांव तहसील माण्डलगढ़।
4. मथरू पत्नि नाराण जाति रेबारी निवासी साण्डगांव हाल नाहरगढ़ तहसील माण्डलगढ़।
5. लाडा पुत्री नाराण जाति रेबारी निवासी साण्डगांव हाल नाहरगढ़ तहसील माण्डलगढ़।
6. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा माण्डलगढ़ तहसील माण्डलगढ़।
7. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़।

प्रतिवादीगण....

उपस्थित :-

1. श्री सांवरमल रेबारी (अधिवक्ता वादी)।
2. प्रतिवादीगण 1 से 6 एकपक्षीय कार्यवाही।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

:- निर्णय :-

निर्णय दिनांक: 13.01.2023

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 एकपक्षीय कार्यवाही होने से स्वीकार किया जाकर डिक्री पारित की जाती है एवं आदेश दिया जाता है कि ग्राम साण्ड पटवार हल्का मुकुन्दपुरिया की सरहद में स्थित खाता संख्या 126 के आराजी संख्या 156 रकबा 1.0603 हेक्टेयर भूमि में नीचे दी गई सारणी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। हर्जा खर्चा मुकद्मात फरिक्केन अपना अपना वहन करें। पक्षकार द्वारा नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश किया गया जो संलग्न है।

आदेश आज दिनांक 13.01.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर से जारी किया गया।

जय कौशिक (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़
माण्डलगढ़

| क्रस | नाम खातेदार | मौजा | आराजी संख्या | रकबा | लगान |
|------|--|-------|--------------|------------|--------|
| 1 | नोसी देवी पत्नि भंवरलाल रेबारी सा. देह खातेदार। | साण्ड | 156 / 1 | 0.2120 है० | 1.0603 |
| | योग | | किता 1 | 0.2120 है० | 1.0603 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|-------|--------|------------|--------|
| 2 | मथरू पत्नि नाराण 1/8 रेबारी मदन पिता सोदान 1/4 रेबारी लाडा पुत्री नाराण 1/8 रेबारी शम्भु पिता बक्षा 1/4 रेबारी सोनाथ पिता मिश्री 1/4 रेबारी सा. देह. खातेदार रहन बी.ओ.बी. बरुखेड़ा हिस्सा मदन का व एस.बी.आई. शाखा माण्डलगढ़ हिस्सा शम्भु व सोदान का | साण्ड | 156 | 0.8483 है० | 1.0603 |
| | योग | | किता 1 | 0.8483 है० | 1.0603 |

आदेश आज दिनांक 13.01.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर लगाकर दिया गया।



जय कौशिक (आर.ए.एस.)
उपाखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

वाद के खर्चे

| वादी | रूपया | आ.पा. | प्रतिवादी | रूपया | आ.पा. |
|----------------------------------|-------|-------|----------------------------------|-------|-------|
| 1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प | | | 1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | | |
| 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | | | 2. अर्जी के लिए स्टाम्प | | |
| 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प | | | 3. प्लीडर की फीस | | |
| 4. | | | 4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय | | |
| प्लीडर की फीस | | | 5. आदेशिका को तामील | | |
| 5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय | | | 6. कमिश्नर की फीस | | |
| 6. कमिश्नर की फीस | | | | | |
| 7. आदेशिका की तामील | | | | | |

जय कौशिक (आर.ए.एस.)
उपाखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़